फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

या :

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
20/3/25	पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एड बार एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थिगित किए जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/3/25 को पेश हो।	-
24/3/25	पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एड बार एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थिगित किए जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/3/25 को पेश हो।	
28/3/25	आज दि. 28/3/25 को पत्रावली पेश हुई ... अवकाश/दौरे पर है। अतः पत्रा... 8/4/25 को पेश हो।	
8/4/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व० फ० उप०। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर दिनांक 1/10/2018 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:41:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी: सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या– 84/2018 निर्णय दिनांक 20.09.2018

1. बिमला देवी पत्नी गंगाधर जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम बावडी, तहसील व जिला जयपुर।
2. पुष्पा देवी पत्नी गुलाब चन्द जाति बागडा हाल निवासी ग्राम नई कोठी की ढाणी चौप तहसील आमेर जयपुर

............प्रार्थीया

बनाम

1. श्रीमती छिगनी देवी पत्नी कानाराम
2. लालाराम
3. भागीरथ
4. रामकुंवार

(2–4) पुत्रान् रामलाल

जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम राधापुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

5. शान्ति देवी पत्नी मालीराम
6. प्रभु देवी पत्नी गोपाल

जाति मीणा, निवासी ग्राम राधापुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।

7. मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर।
8. अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत ग्रामीण जयपुर।
9. सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला उपखंड जालसू जयपुर।

............अप्रार्थीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र

उपस्थिति :– (1) श्री योगराज चौधरी – अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
(2) श्री दिनेश दत्त शर्मा – अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या – 1 की ओर से
(3) श्री हीरालाल सैनी – प्रतिवादी संख्या [illegible], 9 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:41:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

निर्णय दिनांक 08.04.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है प्रार्थी आराजी खसरा नंम्बर 193 रकबा 1.81 हैक्टर भूमि वाके ग्राम राधापुरा, पटवार क्षेत्र राधाकिशनपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला– जयपुर में स्थित है, जिस पर प्रार्थिया अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त कर उपयोग उपभोग करती

चली आ रही है। प्रार्थिया की भूमि के पूर्वी सीमा की ओर अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 194 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नंबर 194/498 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नंबर 195 रकबा 1.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 223 रकबा 0.17 हैक्टेयर ग्राम राधापुरा, पटवार क्षेत्र राधाकिशनपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित है। अप्रार्थी संख्या 7 ता 9 के अधीनस्थ कर्मचारी दिनांक 17.9.2018 को प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि की सीमा तथा प्रार्थना पत्र के मद नंबर 3 में वर्णित भूमि की पश्चिमी सीमा पर उत्तर से दक्षिण सडक निर्माण करने हेतु प्रार्थिया की प्रार्थना पत्र के मद नंबर 2 में वर्णित भूमि की पूर्वी सीमा तथा प्रार्थना पत्र के मद नंबर 3 में वर्णित भूमि की पश्चिमी सीमा पर बराबर–बराबर भूमि पर उत्तर से दक्षिण का निर्माण करने हेतु निवेदन किया, लेकिन अप्रार्थीगण ने प्रार्थिया व उसके परिजनों को सडक का निर्माण प्रार्थिया की भूमि में से एक तरफ ही करने को कहा तथा अप्रार्थीगण केवल प्रार्थिया की भूमि में ही सडक निर्माण हेतु नाप जोख करने लगे तथा सडक का निर्माण करने पर आमादा हुये जिसका प्रार्थिया व उसके परिजनों ने विरोध किया तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थिया व उसके परिजनों को धमकी दी कि वे शीघ्र ही मौका प्राप्त कर प्रार्थिया की भूमि में ही सडक निर्माण करके रहेंगे, जिसका कि अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी संख्या 7, 8 व 9 पीडब्लूडी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि कृषि भूमि खसरा नंबर 193 रकबा 1.81 हैक्टेयर वाके ग्राम राधापुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर ने कार्य स्वीकृति क्रमांक 400/2010 दिनांकित 29.04.2010 के अनुसार दिनांक 17.05.2010 से दिनांक 16.09.2011 तक उक्त कंकरीट रोड का नरेगा योजना के तहत निर्माण किया हुआ है। मौके पर पक्षकार व अन्य ग्रामीवासी उक्त सडक का आने जाने, साधन लाने ले जाने का उपयोग उपभोग कर रहे हैं।

उभयपक्षीय अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात् व उभयपक्षीय बहस का अवलोकन व मनन किया। सुसंगत न्यायिक प्रावधानों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसमें प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू को देखा जाना है। वाद स्थाई निषेधाज्ञा का है तथा अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थी की भूमि मे से सडक का निर्माण कार्य करते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है यद्यपि मूलवाद का निस्तारण उभपक्षकारान को विस्तृत रूप से सुना जाकर तथा साक्ष्यों के दृष्टिगत किया जाना है जो कि हस्तगत प्रार्थना पत्र के हाल निर्णय से किसी भी रूप में तथा किसी भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:41:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

प्रकार से प्रभावित नहीं है, परन्तु प्रस्तुत तथ्यों, तर्कों व दस्तावेजो के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया तथ्यों के दृष्टिगत मात्र प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उभयपक्षकरान को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे विवादित भूमि अराजी खसरा नम्बर 193 रकबा 1.81 हैक्टर भूमि वाके ग्राम राधापुरा, पटवार क्षेत्र राधाकिशनपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला– जयपुर में मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:41:43 IST
Reason: SelfAttested